ईमेल–cfoalm.ukfs@gmail.com

कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी जनपद अल्मोडा।

पत्रांकः–सीएफओ/एन/एएलएम/2026(PO-13) दिनांकः जून 30 ,2026

सेवा में,

स्वामी/प्रबंधक
नंदन डीलाइट गेस्ट हाउस एण्ड रेस्ट्रो,
चौडा, पो0ओ0 भैसरगांव, तहसील–सोमेश्वर
जनपद–अल्मोड़ा।

विषयः– **अग्निशमन सुरक्षा सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण पत्र (Pre-Operational) के सम्बन्ध में।**

कृपया आपके आवदेन यूनिक नम्बर–49647577, दिनांक 14–06–2026 जो कि Uttarakhand Fire and Emergency Services के वेब पेज पर प्राप्त हुआ का अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण प्रभारी अग्निशमन अधिकारी अल्मोड़ा से (सभी मापदण्ड यथा भवन निर्माण उपविधि उत्तराखण्ड शासन एवं नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया के मानकों के अनुसार) कराया गया, प्रभारी फायर स्टेशन अल्मोड़ा की निरीक्षण आख्या दिनांक 30.06.2026 के अनुसार अग्निशमन सुरक्षा हेतु एबीसी टाईप 04 किग्रा के 02 अदद, सीओटू टाईप 4.5 किग्रा0 के 01 अद्द फायर एक्सटिंग्यूशर, 10 हजार लीटर क्षमता का भूमिगत रिजर्व वाटर टैंक व 05 हजार लीटर क्षमता का ओवर हैड रिजर्व वाटर टैंक स्थापित है, अग्निशमन सुरक्षा दृष्टिकोण से स्थल उपयुक्त पाया गया व अग्निशमन यन्त्र कार्यशील दशा में पाये गये।

निर्देशित किया जाता है कि अग्निशमन उपकरणों को सदैव कार्यशील दशा में रखेंगे। संस्थान के विस्तार/अतिरिक्त निर्माण करने पर तद्नुसार अतिरिक्त अग्निशमन व्यवस्था करनी होगी। प्रत्येक 03 वर्ष से पूर्व इस कार्यालय से अग्निशमन यन्त्रों का परीक्षण कराकर नियमानुसार टेस्टिंग शुल्क जमा कराया जायेगा इसके अतिरिक्त प्रत्येक 06 माह में भवन अथवा परिसर में अग्निसुरक्षा व्यवस्था एवं उपकरणों की स्थिति संतोषजनक एवं कार्यशील होने का स्वः घोषित प्रमाण पत्र प्रस्तुत/अपलोड करना होगा तथा सदैव मानको के अनुरूप अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।

अतः संस्थान का प्राथमिक अग्निशमन सुरक्षा सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण पत्र (02 कमरे हेतु) दिनांकः 30 जून 2026 से 29 जून 2029 तक इस आधार पर प्रदान किया जाता है कि निम्न शर्तो का पालन किया जायः–

01 सभी बाहर निकलने या बचाव के रास्ते तथा सेटबैक प्रत्येक दशा में अवरोध मुक्त रखी जाय, आपके संस्थान के सभी कर्मचारियों को उपलब्ध अग्निशमन यन्त्रों का तथा सुरक्षित निष्क्रमण (Evacuation) प्रक्रिया का ज्ञान होना आवश्यक होगा।

02 सभी अग्निशमन यन्त्रों को कार्यशील दशा में रखने की जिम्मेदारी प्रबन्धन की होगी। अग्निशमन यन्त्रों की स्थापना का अर्थ यह नहीं लगाया जाए कि अग्निकाण्ड की घटना नहीं हो सकती है, अतः प्रबन्धन को अग्निनिरोधक उपाय सदैव करते रहना चाहिए।

03 भवन/संस्थान में विद्युत यन्त्रों की स्थापना, वेंटीलेशन, स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी, सैट बैक एरिया व निर्माण, Land Use Change में बदलाव आदि का सत्यापन सम्बन्धित अधिकारी से कराया जाए।

04 संस्थान के अतिरिक्त निर्माण करने से पूर्व सम्बन्धित विभागों से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

05 इस अनापत्ति प्रमाण पत्र का उपयोग अवैध निर्माण को नियमित करने के लिए नहीं किया जा सकता।

06 संस्थान में अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था निर्धारित मानकों/एन.बी.सी 2016 के भाग 04 की गाईड लाईन के अनुसार सदैव अद्यतन (Update) स्थिति में रखा जाना जीव रक्षा एवं राष्ट्रीय सम्पत्ति की सुरक्षा के हित में आवश्यक है।

07 भूमि भवन/मानचित्र के सम्बन्ध में किसी प्राधिकृत अधिकारी/व्यक्ति द्वारा आपत्ति किये जाने पर व आपत्ति सही होने की दशा में उक्त अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त समझा जायेगा।

(नरेन्द्र सिंह कुँवर)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
अल्मोड़ा।